अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

Filing SDM HMH

हस्तगत प्रार्थना पत्र से संबद्ध मूल वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज (नामंजूर) किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मूल वाद के अभाव में विचारण अयोग्य है। अत: एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

14/9/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:45 IST
Reason: SelfAttested